रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936**
No. 588] **NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936**

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 801(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह ''ग'' (साधारण डयूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर भर्ती नियम, 2010 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "ग" (साधारण डयूटी/तकनीकी/ट्रेडस्मैन) काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "ग" (साधारण डयूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में, —

(क) कांस्टेबल (ड्राईवर) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के सामने, स्तंभ 7 के अधीन, ''18 और 23 वर्ष के बीच। (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

" i) 21 से 27 वर्ष के बीच। (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक, अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों और सरकारी सेवकों के लिए 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।); और

ii) विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष तक शिथिल करके पुनःभर्ती की दशा में 30 वर्ष तक की जा सकती है।''

(ख) कांस्टेबल (ड्राईवर) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के सामने, स्तंभ (12) के अधीन ''ऐसे कांस्टेबल (साधारण डयूटी) जिन्हें चालक और मैकेनिक पाठयक्रम सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् पुनःभर्ती किया जा रहा है।'' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"i) ऐसे कांस्टेबल (साधारण डयूटी) जिन्हें चालन और मैकेनिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् पुनःभर्ती किया जा रहा है।

ii) ऐसे कांस्टेबल (ट्रेडस्मैन) को, जिनके पास परिवहन यानों की चालन अनुज्ञप्ति है और जो कांस्टेबल (ड्राईवर) की सीधी भर्ती के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते है, कांस्टेबल (ड्राईवर) के पद के लिए अपेक्षित बुनियादी प्रशिक्षण/चालन और मैकेनिक पाठयक्रम में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् पुनःभर्ती किया जाएगा।''

[फा. सं. आर–II–15/2014–भर्ती (समूह "ग" भ.नि.)]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण:–मूल नियम सा. का. नि. 614(अ) तारीख 22 जुलाई, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 356(अ) तारीख 29–04–2011 द्वारा संशोधन अधिसूचना जारी की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2014

G.S.R. 801(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force Group "C" (General Duty / Technical /Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. **Short title and Commencement :-**(1) These Rules may be called the Central Reserve Police Force Group "C" (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Reserve Police Force Group "C" (General Duty/Technical/ Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010,—

   (a) Against serial number 5 relating to the post of Constable (Driver) under column (7), for the words, figures and brackets "Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates for direct recruitment)" the following entry shall be substituted, namely:—

   " i) Between 21 and 27 years (Relaxation for 5 years for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes 3 years for Other Backward classes candidates and Government Servants.)

   ii) Upto 30 years in case of remusteration by giving relaxation of 3 years to departmental candidates."

   (b) Against serial number 5 relating to the post of Constable (Driver) under column (12), for the words "Constable (General Duty) are being re-mustered after successfully qualifying Driving and Mechanic Course" the following entry shall be substituted, namely :—

   " i) Constables (General Duty) are being re-mustered after successfully qualifying Driving and Mechanic Course.

   ii) Constable (Tradesmen) having driving license of Transport vehicles and fulfilling the eligibility criteria for direct recruitment for Constable (Driver) will be re-mustered after successfully qualifying basic training/D&M course required for the post of Constable (Driver)."

[F. No. R-II-15/2014-Recruitment (Group-'C' RRs)]

DINESH MAHUR, Director (Pers)

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 614 (E) dated 22nd July, 2010 and amendment notification was issued *vide* No. G.S.R. 356(E) dated 29-04-2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.